न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010076962024

Civil Revision/1/2025
Atul Jain Vs. Amit Jain
सिविल रिवीजन संख्या 01 सन 2025

1. अतुल जैन पुत्र रख० श्री सतीश चन्द्र जैन आयु करीब 55 वर्ष
2. श्रीमति सोनू पत्नी श्री अतुल जैन आयु करीब 54 वर्ष निवासीगण न्यू आलोक मेरठ रोड हापुड़, तहसील व जिला हापुड़। – रिवीजनकर्ता/प्रतिवादीगण

बनाम

1. अमित जैन पुत्र स्व० श्री सतीश चन्द्र जैन आयु करीब 49 वर्ष
2. नुपुर जैन पत्नी अमित जैन आयु करीब 45 वर्ष निवासीगण न्यू आलोक मेरठ रोड हापुड़, तहसील व जिला हापुड़।
3. अधिशासी अभियन्ता कार्यालय स्थित विद्युत वितरण खण्ड, टाउन हॉल हापुड़।
4. उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा डी०जी०सी० सिविल न्यायालय हापुड़, जिला हापुड़।

– विपक्षीगण

निर्णय

प्रश्नगत सिविल रिवीजन, रिवीजनकर्ता/प्रतिवादीगण द्वारा विद्वान अवर न्यायालय/सिविल जज (जू०डि०) हापुड द्वारा वाद सं० 134 सन् 2023, अमित जैन बनाम अतुल जैन, में प्रार्थना पत्र 23ग अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सी०पी०सी० पर पारित आदेश दि0 07.09.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है ।

2. प्रश्नगत निगरानी में आलोच्य निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित पारित आदेश दिनां 07–09–2024 में वर्णित ''प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जिन प्रलेखों को दाखिल करने हेतु प्रार्थनापत्र योजित किया गया है, उनकी आवश्यकता इस स्तर पर किस विषय पर होगी, यह सिद्ध नहीं हो पा रही है।'' पारित करते समय न्यामिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 एवं 14 प्रस्तुत करने का आशय न्यायालय में प्रस्तुत वाद हेतुक शून्य मुकदमें दाखिल करके पारिवारिक झगड़े एवं कलह को

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.24 16:27:41 IST
Reason: judgement
Location: District and Sessions Court

प्रारम्भ में निराधार एवं समाप्त करके, माननीय न्यायालय के खर्च कम करने तथा वादकारियों के मध्य उत्पन्न अनावश्यक मनमुटाव शीघ्र खत्म कराना था चूंकि उक्त प्रकार प्रश्न का उत्तर देने से वाद के आवश्यक तथ्यों की जानकारी एकत्रित करके वाद प्रक्रिया को छोटा (कम) किया जा सकता है किन्तु माननीय न्यायालय ने वादी की आपत्ति कि प्रार्थना पत्र कार्यवाही को निलम्बित करने के आश्य से दिया है को आधार मानकर उक्तामापत्र निर्णित कर दिया जो कतई कानून के विपरीत है। अतः कानूनन पोषणीय नहीं है। चूंकि वाद एक ही परिवार के दो भाईयों के मध्य का है, जिसमें दोनों भाई एक ही फर्म के पत्नियों सहित साझेदार थे यह फर्म 2013 से मै० शान्तिनाथ सैटेलाईट क० के नाम से रजिस्टर्ड थी इस पर विद्युत मीटर प्रराम्भतः प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से लगा हुआ था वर्ष 2018 में यूनिट का विभाजन सहमति पूर्वक पार्टनर्स द्वारा किया गया। इस विभाजन में मैसर्स शान्तिनाथ इन्डस्ट्रीज के नाम ही से पुनः शुरू हुई, जिसकी विद्युत आपूर्ति भी प्रतिवादी के ही विद्युत कनैक्शन से होती रही। दिनांक 01–04–2018 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य लीज डीड निष्पादित की गयी तब ही से प्रतिवादी बतौर प्रोपराईटर उक्त मै० शान्तिनाथ सैटेलाइट क० को संचालित करता रहा है तथा 5000/– रूपये महीना वादीगण को अदा कर रहा है जिसको प्रतिवादी ने साक्ष्य सहित दाखिल किया है। जनवरी 2022 मे अचानक वादीगण ने प्रतिवादी को फैक्टरी खाली करने के लिए धमकाना व मारपीट शुरू कर दी जिसके विरूद्ध दिनांक 28–02–2022 को प्रतिवादी ने माननीय न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) हवाली मेरठ जिला मेरठ में निषेधात्मक आज्ञा हेतु वाद दायर किया जिसे स्वीकार कर माननीय न्यायालय मेरठ ने दिनांक 00–05–2024 को आदेश पारित किया कि उनय पथों को आदेशित किया जाता है कि वाद के लम्बित रहने तक याद पत्र के अन्तर्गत विवादित भूमिध्फैक्टरी स्थित खसरा संख्या 716 के नं० उबी घौरखेड़ा इन्डस्ट्रीयल एरिया मेरठ रोड जिला मेरठ पर यथास्थिति बनाये रखें। इस आदेश की सर्टिफाईड प्रतिलिपि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के आलोक से सम्पूर्ण स्थिति सुस्पष्ठ हो गयी थी कि वाद वादी कतई झूठ एवं मनगढन्ता आधारों पर दाखिल किया गया है। अवर न्यायालय का अवलोकन कि ''साक्ष्य के स्तर पर उक्त प्रलेखीय साक्ष्य की आवश्यकता पत्रावली पर हो सकती है जिन्हें उस समय पर भी तलब किया जा

सकता है।'' उदघृत करते समय अवर न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया है कि वाद कारण शून्य वाद दाखिल करने से पूर्व वाद के आवश्यक एवं सारवान तथ्यों (स्तम्भों) को प्रस्तुत किया जाना नितान्त आवश्यक होता है। जिसकी अनदेखी कर उक्त प्रकार आदेश पारित किया जाना माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, कीमती समय एवं वादभारो की अनदेखी है। यद्यपि अवर न्यायालय ने स्वंय स्वीकारा है कि ''वाद पत्र के कथनों को सिद्ध करने का भार वादी है किन्तु इसके साथ अवलोकन कि ष्वह साक्ष्य के स्तर पर अपने कथनों को सिद्ध करने हेतु प्रलेखीय साक्ष्य न्यायालय में दाखिल करने हेतु स्वतन्त्र है'' करके अपनी शक्तियों को कम आंका है कि न्यायहित में वादों को माननीय न्यायालय के कीमती समय एवं वाद को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया जाना सर्वथा न्यायोचित था किन्तु माननीय न्यायालय ने उक्त न्यायिक अपेक्षाओ की उपेक्षा कर न्यायिक त्रुटि की है। जिस कारण आदेश अवर न्यायालय दिनांक 07–09–2024 खारिज किया सर्वथा आवश्यक है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तथा प्रस्तुत कागजात वादी का वाद संस्थित करने को पर्याप्त नहीं है फिर भी माननीय न्यायालय ने वाद संस्थित करने हेतु मौखिक एव प्रलेखीय साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का आदेश पारित न करके न्यायोचित विचारण तथा वाद के खर्चों को बढ़ाने की न्यायिक त्रुटि की है। जिस कारण भी आदेश दिनांक 07–09–2024 स्थिर रहने योग्य नहीं है। प्रतिवादी ने आवश्यक एवं सारवान तथ्यों को प्रकाशित करने हेतु अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये किन्तु माननीय न्यायालय ने उक्त दाखिल कागाजातों की अनदेखी कर पूर्व निश्चित मानसिकता के आधार पर आदेश पारित करके आवश्यक एवं सारवान तथ्यों को सिद्ध करने में न्यायिक प्रक्रिया को बेवजह लम्बित किया है। जो वादों के शीघ्र निपटारे तथा वादों के खर्चों को कम करने के सिद्वान्त के विरूद्ध है। जिस कारण भी माननीय अवर न्यायालय का आदेश खण्डित किया जाने योग्य है। उक्त आधारों पर रिवीजनकर्ता/प्रतिवादीगण का रिविजन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय / सिविल जज (जू०डि०) हापुड द्वारा वाद सं० 134 सन् 2023, अमित जैन बनाम अतुल जैन, में प्रार्थना पत्र 23ग अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सी०पी०सी० पर पारित आदेश दि0 07.09.2024 को निरस्त करने की याचना की गयी है ।

समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था M.L. Sethi VS R.P.Kapur AIR 1972 SC 2379 (V 59 C 452) प्रस्तुत की गयी है, जिसका मैंने ससम्मान अवलोकन किया ।

3. रेस्पोडेंट/वादीगण की ओर से मौखिक आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिनुसार सही है । अतः रिवीजन निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4. रिवीजनकर्ता/प्रतिवादीगण एवं रेस्पोडेंट/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को मेरिट पर सुना । पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

5. उपरोक्त प्रकरण में अब इस न्यायालय को विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दि0 07.09.2024 में दिये गये निष्कर्ष एवं आदेश की शुद्धता , वैधता एवं औचित्य पर विचार करना है ।

6. सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह रिवीजन विद्वान अवर न्यायालय/सिविल जज (जू०डि०) हापुड द्वारा वाद सं० 134 सन् 2023, अमित जैन बनाम अतुल जैन, में प्रार्थना पत्र 23ग अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सी०पी०सी० पर पारित आदेश दि0 07.09.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है ।

न्याय का यह सुनहरा सिद्धान्त है कि निगरानी न्यायालय को निगरानी के निस्तारण के समय सीमित क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है । निगरानी न्यायालय को केवल अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में की गयी अविधिकता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि देखनी होती है ।

7. पत्रावली के अवलोकन यह प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध योजित विद्वान अवर न्यायालय/सिविल जज (जू०डि०) हापुड के समक्ष वाद सं० 134 सन् 2023, अमित जैन बनाम अतुल जैन, में रिवीजनकर्ता/प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र कागज सं० 23ग अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 दिवानी प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस कथन के साथ योजित किया

गया है कि फर्म शान्तिनाथ सैटेलाइट कम्पनी के नाम से कारोबार प्रारम्भ किया था। तब यह भी तय हुआ था कि जब वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य भविष्य में कारोबार करने की सहमति नहीं रहेगी अर्थात वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पार्टनरशिप डीड समाप्त होगी। तब प्रतिवादीगण अविलम्ब उक्त विवादित सम्पत्ति को रिक कर उसका कब्जा वादीगण को सौप देंगे व न ही उस पर कोई विद्युत कनेक्शन आदि की रनिंग रखेंगे व उसको भी अन्यत्र ट्रांसफर करा लेगे तथा कोई किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं करेंगे। यह कथन वादी ने अपने वाद पत्र की धारा 4 में लेख बद्ध किया है, किन्तु वादी ने अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई भी प्रलेखीय साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। सर्वप्रथम वादी को अपने कथन के समर्थन में अपने वाद पत्र को सिद्ध करने हेतु उक्त वर्णित कथन की बाबत प्रलेखीय साक्ष्य न्यायालय में दाखिल करना चाहिए न्यायहित में आवश्यक है कि वादी को निर्देश दिया जावे कि अपने उक्त वर्णित कथन के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करें। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उक्त वर्णित तथ्यों एवं कथनों के परिप्रेक्ष्य में वादी को निर्देश दिया जावे कि वह वाद पत्र में वर्णित अपने कथन की बाबत प्रलेखीय साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करें। ताकि वाद का संम्यक् रूप से निस्तारण किया जा सके।

जिसके विरूद्ध विपक्षी/वादीगण द्वारा आपत्ति कागज सं० 26 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र मात्र प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को विलम्बित करने के आशय से, उक्त प्रावधान में बगैर उक्त प्रावधान को सही रूप से पढ़े व समझे बिना दिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में, जो शपथपत्र दिया गया है वह झूठा व गलत है। उक समस्त आधारों पर उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त विद्वान अवर न्यायालय/सिविल जज (जू०डि०) हापुड द्वारा यह निष्कर्ष पारित किया गया है कि –आदेश 11 नियम 12 व 14 सी.पी.सी के प्रावधान निम्न प्रकार है–

12.“Application for discovery of documents- Any party may] without filing any affidavit] apply to the Court for an order directing any other party to any suit to make discovery on

oath of the documents which are or have been in his possession or power relating to any matter in question therein- On the hearing of such application the Court may either refuse or adjourn the same] if satisfied that such discovery is not necessary] or not necessary at that stage of the suit] or make such order] either generally or limited to certain classes of documents] as may] in its discretion be thought fit:

Provided that discovery shall not be ordered when and so far as the shall be of opinion that it is not necessary either for disposing fairly of the suit or for saving costs-

14- Production of documents& It shall be lawful for the Court] at any time during the pendency of any suit] to order the production by any party thereto] upon oath of such of the documents in his possession or power] relating any matter in question in such suit] as the Court shall think right: and the Court may deal with such documents] when produced] in such manner shall appear just-"

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वादपत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में वादी से प्रलेखीय साक्ष्य न्यायालय में दाखिल कराये जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली प्रारंभिक चरण पर है। पत्रावली पर इस स्तर पर वाद–बिन्दु भी योजित नहीं किये गये है। प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा जिन प्रलेखों को दाखिल करने हेतु प्रार्थना पत्र योजित किया गया है, उनकी आवश्यकता इस स्तर पर किस विषय पर होगी, यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है। साक्ष्य के स्तर पर उक्त प्रलेखीय साध्य की आवश्यकता पत्रावली पर हो सकती है, जिन्हें उस समय पर भी तलब किया जा सकता है। वादपत्र के कथनों को सिद्ध करने का भार वादी पर है और वह साक्ष्य के स्तर पर अपने कथनों को सिद्ध करने हेतु प्रलेखीय साक्ष्य न्यायालय में दाखिल करने हेतु स्वतंत्र है। प्रतिवादीगण के पास भी

वादी के कथनों को खंडित करने का पूर्ण अवसर साक्ष्य के स्तर पर मौजूद रहेगा। वाद के प्रारंभिक चरण में न्यायालय के मत में इस स्तर पर प्रार्थीगण द्वारा कथित अभिलेखों को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

उपरोक्त प्रावधानों एवं तथ्यों के आलोक में न्यायालय इस मत का है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र इस स्तर पर पोषणीय होना प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः इस स्तर पर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं है।''

12. इस निगरानी न्यायालय को विद्वान अवर न्यायालय/सिविल जज (जू०डि०) हापुड द्वारा आलोच्य आदेश में पारित उपरोक्त निष्कर्ष न्यायोचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है क्योंकि उभयपक्ष द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि मूलवाद में वादबिन्दु विरचित किए जा चुके है और उक्त प्रकरण में विद्वान अवर न्यायालय/सिविल जज (जू०डि०) हापुड द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ''पत्रावली प्रारंभिक चरण पर है। पत्रावली पर इस स्तर पर वाद–बिन्दु भी योजित नहीं किये गये है। प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा जिन प्रलेखों को दाखिल करने हेतु प्रार्थना पत्र योजित किया गया है, उनकी आवश्यकता इस स्तर पर किस विषय पर होगी, यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है। साक्ष्य के स्तर पर उक्त प्रलेखीय साध्य की आवश्यकता पत्रावली पर हो सकती है, जिन्हें उस समय पर भी तलब किया जा सकता है। वादपत्र के कथनों को सिद्ध करने का भार वादी पर है और वह साक्ष्य के स्तर पर अपने कथनों को सिद्ध करने हेतु प्रलेखीय साक्ष्य न्यायालय में दाखिल करने हेतु स्वतंत्र है। प्रतिवादीगण के पास भी वादी के कथनों को खंडित करने का पूर्ण अवसर साक्ष्य के स्तर पर मौजूद रहेगा। वाद के प्रारंभिक चरण में न्यायालय के मत में इस स्तर पर प्रार्थीगण द्वारा कथित अभिलेखों को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।''

ऐसे में यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य व विधिक प्राविधानो का समुचित आंकलन करते हुए अपने निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता/ प्रतिवादीगण की निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायालय/सिविल जज (जू०डि०) हापुड द्वारा वाद सं० 134 सन् 2023, अमित जैन बनाम अतुल जैन, में प्रार्थना पत्र 23ग अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सी०पी०सी० पर पारित आदेश दि0 07.09.2024 पुष्ट किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

इस निर्णय की एक प्रति विद्वान अवर न्यायालय/सिविल जज (जू०डि०) हापुड को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये ।

दिनांकः 24.07.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 24.07.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।